CCI ने मेटा पर जुर्माना लगाया

स्रोत: एचटी

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने व्हाट्सएप की 2021 गोपनीयता नीति अपडेट के माध्यम से अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिये मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।

- यह निर्णय व्हाट्सएप को विज्ञापन उद्देश्यों के लिये अन्य मेटा कंपनियों **के साथ उपयोगकर्त्ता डेटा साझा करने से रोकता है** और यह अनिवार्य करता है कि किसी भी डेटा साझाकरण के लिये उपयोगकर्त्ता की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।
    - CCI ने पाया कि व्हाट्सएप के 2021 नीति अपडेट ने उपयोगकर्त्ताओं को **ऑप्ट आउट करने के विकल्प के बिना विस्तारित डेटा संग्रह शर्तों को स्वीकार करने के लिये मज़बूर किया, जो** प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के तहत एक अनुचित स्थिति है।
    - नई नीति से वाणिज्यिक शोषण और राजनीतिक सूक्ष्म लक्ष्यीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
    - इस फैसले में व्हाट्सएप को डेटा साझा करने की प्रथाओं के संबंध में स्पष्ट स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है, जिससे उपयोगकर्त्ताओं के लिये पारदर्शिता बढ़ेगी।
- व्हाट्सएप की नीति श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट के साथ भी विरोधाभासी है, जो डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का आधार बनती है, जिसमें **डेटा स्थानीयकरण** और **डेटा उपयोग को उसके मूल उद्देश्य तक सीमित करना** शामिल है।
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) एक **वैधानिक निकाय** है जो **प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002** को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है।

और पढ़ें: व्हाट्सएप और गोपनीयता का उल्लंघन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cci-imposes-fine-on-meta